राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15633 जयपुर दिनांक 27/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में, विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अर्न्तगत पांच जातियों यथा 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए–2/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क–2/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत अन्य पिछडा वर्ग में अति पिछडा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव 27/2

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15634–790 जयपुर दिनांक 27/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त...
13) समस्त जिला कलक्टर...
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक...
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड...
16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबधित को ई–मेल करने बाबत
17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.............................
18) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15265 जयपुर दिनांक 23/2/18

परिपत्र

विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनाक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटो मे प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों मे आरक्षण) अधिनियम 2017 की धारा 2 डी. एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अर्न्तगत पांच जातियों यथा 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया(गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)/डीओपी/ए–2/2017 जयपुर दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अति पिछडा वर्ग को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटो में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदो में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में यदि उक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को उपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15266-366 जयपुर दिनांक 23/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त...
13) समस्त जिला कलक्टर...
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक...
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड...
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.............................
17) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव